

सुविचार


संपादकीय

वक्त का फैसला

कर्नाटक की शैक्षणिक संस्थाओं में मध्य सत्र में अचानक पैदा हुए हिजाब विवाद का पदाक्षेप कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही जाना चाहिए। मगलबार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है। साथ ही इसे संवैधानिक अधिकार बताने वाली छात्राओं की याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू करना कानूनी दृष्टि से उचित है। इससे सविनाम में दो गई नियता व अधिकारिति की स्तरताना का अतिक्रमण नहीं होता। दरअसल, कर्नाटक स्थित उडुपी के दो सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कुछ छात्राओं ने कालेज प्रबन्ध द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के खिलाफ कोट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही इसे पहनना संवैधानिक अधिकार बताया था। कालांतर इस मामले को तीन जजों की पीठ का सौंपा गया था। सभी पंक्तों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जजों न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित व न्यायमूर्ति जे.एम. काजी ने 25 फरवरी तक सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ ने निर्कर्ष दिया कि व्यक्तिगत अधिरुचि शैक्षणिक अनुशासन का अतिक्रमण नहीं कर सकती। इस फैसले का केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने स्वतंत्र किया। कहा गया कि देश-राज्य की प्रगति के लिये विवादों से परे जानकी को अपने मुख्य कार्य पर दृढ़ी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं छात्राओं के वकील का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएगे। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि धर्म व उसकी मान्यताओं से इतर सविधान सर्वोच्च है। दरअसल, फरवरी के मध्य में जब उडुपी के गवर्नरेंट पीपी कॉलेज फॉर वीमेन की छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया तो उन्होंने कॉलेज प्रशासन के फैसले को नहीं माना और अदालत की शरण ली थी। जब इस मामले का विरोध हुआ तो कुछ छात्र भगवा शॉल डालकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल, अचानक उद्दे इस विवाद को लेकर तमाम साल खड़े हुए। कालांतर यह प्रकरण उडुपी से निकलकर पूरे कार्नाटक और फिर पूरे देश में विवाद का बन गया। ऐसे दौरान कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी मुद्रे की तपशि महसूस की गई। तब इस विवाद के मूल में राजनीतिक विहितों की बात कही गई। मामले ने तूल पकड़ा तो कई राजनीतिक दल भी इसमें नाश दर्शाने लगे। तभी मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने भी कहा कि अकादमिक सत्र के बीच में अचानक यह मुद्रा बद्यों उठा? लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। निस्संदेह, अशांति पैदा करने व सङ्घरण को प्रमाणित करने के लिये ऐसा किया गया। वहीं राज्य सरकार कहती रही है कि पहले से तय यूनिफॉर्म ही कालेज में पहनी जा सकती है। साथ ही लड़कियों को छूट दी गई कि वे रक्कूल आते-जाते वक्फ हिजाब पहन सकती हैं। मगर काला में इस उत्तराना होगा जिसे राज्यों तो तकनीकी तर्फ से नियंत्रित किया जाए। कालांतर कर्नाटक के

आजान न स्वतन्त्र नहीं किया। कालाता कानाटक के फ़क्कर रुपूल-
कॉलेजों में हिजाब के स्वरूपन में प्रदर्शन हुए। कुछ जगह
तोड़फोड़ व पथराव की घटानाएं भी हुईं। स्कूल, कालेज दूर किये
गये थे और राज्य में निधंशाज्ञा लालू पर्ग की गई। वहाँ इस मुद्रे पर विवाद
बढ़ने के बाद कुछ कानून के जानकारों ने इसे धर्म से इतर व्यक्तिगत
अधिकार का मुख्य बताया। साथ ही कहा गया कि इस कोड निधंशास्ति
करना स्कूल का अधिकार तो है तोकिन इसके क्रियान्वयन से
मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसे संस्थान
की स्वतंत्रता व निजी स्वतंत्रता का द्वंद्व बताना लगे। वहाँ बुद्धिमती
कहने लगे कि हिजाब के पक्ष विरोध में खड़े छात्रों का पहला काम
पढ़ाई करना है।

आज के कार्टन



ਪੰਜਾਬ

श्रीराम शर्मा आचार्य
मैंने प्यार दिया पर बदला मुझे क्या मिला?' ऐसे विचार करने में उत्तावली न कीजिए। बादलों का देखिए, सारे संसार पर जल बरसाया फिरते हैं, किसने उत्के अहानन का बदला चुका दिया? बड़े-बड़े भूमि खड़ों का सिंचन करके उनमें हरियाणी उपजान वाली नदियों के परिषिवार की कीमत कौन देता है? हम पृथ्वी की यती पर जन्म भर रहे रहते हैं और उसे मल-मरुस ये गंदी करते रहते हैं, किसने उसका मुआवजा अद्वितीय किया है। वृक्षों से फल, छाया, लकड़ी पाते हैं पर उन्हें क्या कीमत देते हैं? परोपकार स्वयं में बदला है। जब आप उत्कार करने का अनुभव स्वयं करेंगे तो देखेंगे कि इंधरीरी वरदान की तरह यह दिव्य गुण स्वयं ही कितना शांतिदायक है, हृदय को कितनी महानता प्रदान करता है उपकारी जानता है, 'मेरे कार्यों से जितना लाभ दूसरों का होता है उसका कई गुना स्वयं मेरा होता है।' ज्ञानवान पूरुष जो कमाते हैं, दूसरों का बांट देते हैं, सोचते हैं कि प्रकृति जब जीवन वस्तु मुख दे रही है, तब अपनी फालतुं खींचे दूसरों को देने में कंजूनी क्या करें? बुरे दिनों और विपत्ति की घडियों में भी रोपणकार के दिव्य गुण का प्राप्तियांग मन कीजिए। जब आप किसी को भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ हो तो भै सद्गङ्वनारा-शुभकामनाएं देते रहिए। निःस्वार्थ भावाना से जीवन व्यतीत करने वाले के लिए संसार में निरुत्साह, पश्चात्याना और दुःख की कोशिश नहीं है। जरा सी बात के आवेदन में लड़ने-मरने पर उत्तरा मन हृजिये वरन् विरोधियों पर दया-प्रेम की बग्गा करते रहिए। सद्गङ्वना से दिव्य-दृष्टि मिलती है। जिसके हृदय में समरस प्राणियों के प्रति सद्गङ्वन भरी है, यथार्थ में वही दिव्य ज्ञान का अधिकारी है। मनुष्यों में देवता वत है, जो पवित्र है, निःस्वार्थ, प्रेमी, त्याग भावी है। स्वर्णरिक स्वाधरे का परिवर्त्यांग करने के उपरांत जो सतोग्रास प्राप्त होता है, वह बहकतरी रजा हो जाने के सुख से भी शुरूआती रुग्ना अधिक है। जन्म द्वारा पाशविक कंजूनस वृत्ति को कावू में लाने का प्रयत्न करिए। तुच्छ स्वाधरे के गुलाम बनने से इकार करीजिए। नम्रता, भलमनसाहस्र, क्षमा, दया, प्रेम और त्याग भावाना का धारण करने से हृदय में शत शांति का अविभाव होता है। स्वर्णरहित प्रेम के महान नियम में अपने को केंद्रस्थ करना मानो संतोष, शीतलता, विश्राम और इंधर को प्राप्त करने के मार्ग पर पदार्पण करना है।

तीन चीजों को लम्बी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चन्द्रमा और सत्य। - गौतम बुद्ध

ਈਧਨ-ਸਹਜ ਨਿਆਇ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਪਮੋਤਾ ਆਯੋਗ !

(लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन

प्रायः न्यायालयों में तारीख पर तारीख दी जाती है। जिसकारण वादकारियों की चाप्लें तक घिस जाती है दौवानी न्यायालय के बारे में तो कहावत है कि दावा दादा करता है तो न्याय पेटों को मिलता है इस मिथक को तड़ने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हालांकि यह काम यानि तारीख पर तारीख न देकर शीघ्र सहज न्याय देने का काम देख की उपभोक्ता अदालतें, जो अब आयोग के रूप में परिवर्तित होकर उपभोक्ताओं का त्वरित न्याय उपलब्ध करा रही है कहन कह तकत है, समय के साथ उपभोक्ताओं की सोच में भी अब बदलाव आया है। अब खरीदी गई वस्तु के खराब निकलने पर एक अफराती व्यक्त करके उपभोक्ता घर नहीं बैठता, बल्कि दुकानदार से शिकायत करने के साथ ही खराब वस्तु को बदलवाने के लिए उपभोक्ता आयोग तक का दरवाजा खटखटाता है इसी प्रकार खरीदी गई किसी सेवा में कमी मिलने पर उपभोक्ता अपने साथ हुए अन्याय के लिए प्रतिवाद करने लगा है और विभिन्न मंचों पर न्याय के लिए जाने लगा है। उपभोक्ता के साथ कोई भी टीपी या सेवा में कमी न कर पाए, उपभोक्ता को कोई धोखा न दे सके, कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता झूटी सच्ची बताए करके किसी को खराब गुणवत्ता का सामान न बेच सके और किसी को खराब सेवा है न दे सके। इसके लिए ऐसी कोंजागरण रहना आवश्यक है। उपभोक्ता आयोग एक ऐसा न्याय का मंदिर है जहां आप सुगमता से न्याय मांग सकते हैं उपभोक्ता। सरकार अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2019 की अधिसूचना भारत सरकार ने 15 जुलाई 2020 को जरीर कर दी थी जिसके तहत 20 जुलाई सन 2020 से उक्त संशोधित कानून प्रभावी हो गया था। इस बदले कानून से उपभोक्ताओं को शोषण और अन्याय से मुक्ति मिल रही है। इस कानून में किये गए बदलाव से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के क्षेत्र में नई पहल का सूचनापत्र हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता कहीं से भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस कानून में उपभोक्ताओं के लिए मैं कह महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए साथ ही पुराने नियमों में सुधार की कोशिश भी की गई है। जैसे सेंट्रल रेगुलेटर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी दंड और ई-कॉमर्स फर्मों और इवेंट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्तक दिशानिर्देश। इस नया कानून में शामिल किये गए हैं उपभोक्ता अब कहीं से भी यानि जहां वह निवास करता है या जहां से उसने सामान या सेवा खरीदी है, मैं से कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक नामांकन की गाह है। जैसा कानून के अधीन उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार में बदलाव नहीं होता। न्याय एवं राज्यीय उपभोक्ता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच ज्यादा होती है। इसलिए अब जिला उपभोक्ता अदालतें 50 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकतीं हैं जिला आयोग को एक करोड़ रुपये मूल्य के बादों की सुनवाई का अधिकार था, जो अब घटाकर 50 लाख रुपये तक किया गया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है। बहुते उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहां विक्रेता अपनी सेप्लें देता है या यिं उसकी कोई शाखा या कार्यालय जहां मौजूद है। ई-कॉर्मस अर्थात् ऑन लाइन से बड़ी खरीदारी को देखते हुए यह उपभोक्ताओं के द्वितीय में यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता का वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय दोनों बच सकेंगे और उसे न्याय भी जल्दी मिल सकेगा। उपभोक्ता कानून के इतिहास का अवलोकन करें तो पता लगता है कि सन 1966 में जेआरार्डी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता सरक्षण के तहत फैयर रिटर्नस एसोसिएशन की मुद्रित में स्थापित की गई थी और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। भारत में उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का व्यापारिक व्यापार का गठन हो दिया गया था। इसके लिए उपभोक्ता अदालतों के रूप में ग्राहक पंचायत की शाखाना बीमां जीसी द्वारा 1974 में पुणे में की गई समय के साथ अनेक राज्यों में उपभोक्ता काल्पनिक हुए संस्थाओं का गढ़ हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता अदालतों देश में अपे बढ़ावा द्दा हो और सन 24 दिसंबर 1986 का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और जो राष्ट्रपति द्वारा हस्तांकित होने के बाद देशरभ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में सन 1993, सन 2002 व अब 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्याक्त संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित उपभोक्ता अदालतों के आदेशों का लान न किए जाने पर धारा 72 के अधीन कारवास व दण्ड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में उत्पाद व वित्रिता कंपनी की जवाबदेही तय की गई है उत्पाद में निर्माण त्रुटि या खराब संबंधों से अपर उपभोक्ता को नकसान होता है तो उस बनाने वाली

करा सकता है। उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों गठित हैं जिन्हें आयोग के रूप मानवाधीन गई है नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच ज्यादा होती है। इसलिए अब जिला उपभोक्ता अदालतें 50 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकतीं वहले जिला आयोग को एक करोड़ रुपये मूल्य के बादों की सुनवाई का अधिकार था, जो अब बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया गया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहाँ विक्रीता अपनी सेवाएं देता है या फिर उसकी कोई शाया या कार्यालय जहाँ भौजूद है। ई-कॉमर्स अर्थात् ऑनलाइन से बेटी खरीदारों को देखें हुए यह उपभोक्ताओं के हित में यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को डिझिडो कॉफ्टवरिंग के जरिए भी सुनवाई में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय दोनों बदल सकते और उसे न्याय भी जल्दी मिल सकता। उपभोक्ता कानून के इतिहास का अवलोकन करें तो पता चलता है कि सन 1966 में जेरारडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फैयर प्रैविटेस एसोसिएशन की मुंहुई में स्थापना की गई थी और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। भारत में उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अंदोलन का यह प्रथम प्रयास कहा जा सकता है वहीं स्थानसेवी संगठन के रूप में ग्राहक अंचाही की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई समय के साथ अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता अंदोलन देश में आगे बढ़ता रहा और सन 24 दिसंबर 1986 को तकालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में सन 1993, सन 2002 व अब 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुमाम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित उपभोक्ता अदालतों के आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 72 के अधीन कानूनास व दण्ड का ग्रावालन किया गया है। नए कानून में उत्पाद व विक्रेता कंपनी की जवाबदेही तक की गई है उत्पाद में निर्माण शृंटि या खराब सेवाओं से अपर उपभोक्ता को नकसान होता है तो उसे बाने वाली कंपनी को हजार देना होगा। यानि निर्माण शृंटि में खराबी के कारण प्रेरण कुकर के फटने पर उपभोक्ता को घाट पहुंचती है तो उस हासदसे के लिए कंपनी को हजार देना होगा। वहले उपभोक्ता को केवल कुकर की लागत मिलती थी। उपभोक्ताओं को क्षमता दी गई थी भी प्रतिवान कोट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था जिससे मामले के निपटारे में सालों साल जाता थे वहले कंपनियां अनेकतक तरीके से कोट से तारीख पर तारीख ले लेती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को 90 दिन की समय सीमा में न्याय मिल जाना चाहिए हालांकि इसमें प्रायः थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। वहले जहाँ से उपभोक्ता ने सामान खरीदा था, वहीं के उपभोक्ता फोरम में बाद दायर करना होता था। अब उपभोक्ता कहीं से भी सामान खरीदा हो, यदि उसमें खराबी है तो उसकी शिकायत घर या काम की जगह के असामान के उपभोक्ता अदालत में कर सकता है। इस नये कानून का सबसे ज्यादा असर ई-कॉमर्स विजेनेस के क्षेत्र में होगा। इसके द्वारये में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे। दरवाजा की जवाबदेही अब निमातों के साथ सेवा प्रदाता और विक्रेताओं पर भी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ई-कॉमर्स साइट सुरक्षा को एप्रीगेटर बताकर पता नहीं झाड़ सकती है। ई-कॉमर्स कंपनी यों पर सीधे बिक्री पर लागू सभी कानून प्रभावी होंगे। अब अमेजन, पिलपार्कट, स्नैपॉल जैसे व्यापारिक मंच को विक्रीतों के ब्योरे का खुलासा करना होगा। इनमें उनका पता, वेसिडट, ई-मेल इवरीट शामिल करना जरूरी है। ई-कॉमर्स कर्मी की जिम्मदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर किसी तरफ के नकली उत्पादों की बिक्री न हो। आगे ऐसा होता है तो कंपनी पर दंड लग सकता है, वहाँकि एप्रीगेटर प्लेटफॉर्मों पर नकली उत्पादों की बिक्री के मामलों की शिकायतें मिलती रही हैं। कानून में सेंट्रल कज्यूमर प्रोटेवशन अथारिटी (सीसीपीए) नाम का केंद्रीय रेजुलेटर बनाने का प्रस्ताव है यह उपभोक्ता के अधिकारों, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलों को देखना और जरुरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित हो जाने के बाद कंपनियों पर इस बात की ज़िम्मेदारी अब और ज्यादा होगी कि उनके उत्पादों के विज्ञापन भ्रामक न हों और उनके उत्पाद दावों के अनुरूप ही हों वहीं नई विधिक व्यवहार में राज्य उपभोक्ता आयोग की अधिक शक्ति थोड़ा कम की गई है वहले राज्य आयोग की 1 करोड़ रुपये मूल्य तक की उपभोक्ता शिकायत सुनने की शक्ति थी, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

अब मंडियाता जैविक युद्ध का खतरा

ज्ञानेन्द्र रावत

इसमें किंचित मात्र भी संबंध नहीं है कि मौजूदा समय में दुनिया में यॉकेन-रूस युद्ध के चलते यदि सबसे ज्यादा खतरा किसी को हो तो वह है पर्यावरण को। इतिहास इसका जीवन्त प्रमाण है। इसका मानना जीवन पर किनारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसकी संभावना से ही रोगें खड़े हो जाते हैं और दिल दहलने लगता है। सबसे बड़ी चिंता का कारण तो यही है। उस हालत में, और जबकि धरती पहले ही से जलायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते विनाश के कागज पर पहुंच चुकी है, यह खतरा और आरंभ जाता है। यदि युद्ध में परामर्शी और जैविकी हथियारों के उपयोग की आशाएँ से विद्युती दुनिया पर भयानक खतरा मंदिर तक जाहिर है कि यदि ऐसा हुआ तो समूही दुनिया बहुत बड़े स्तर तक प्रभावित होगी और उसे भयकर तबही का समान करना पड़ेगा। अस्तित्व में युद्ध कहें या सशस्त्र संर्वध कहें, उसमें समूचे पर्यावरण की प्रकृति ही खत्म हो जाती है। इसमें दो राय भी नहीं कि युद्ध का परिणाम दीर्घकालिक होता है। युद्ध के दीरांन जहां बमों की बरसात होती है, वहां बमों के रसायनों से वहां की पारिस्थितिकी ही काफी बदल जाती है। उसका अहम कारण यह है कि बमों में प्रयुक्त रसायन हवा में सुकरते प्रतिकूल भ्राव छोड़ते हैं। इससे प्रत्युत्र प्राप्तिवान होती है और वह पर लम्बे समय तक खेती कर पाना सभव नहीं होता। गोरलबल यह है कि किसी भी द्वारा ऐसे पर्यावरण संरक्षण की आशा तभी तीव्र जा सकती है

जबकि वहाँ स्थायी रूप से शांति स्थापित हो। यह सुशासन की कीमत पर ही संभव है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी उसी दशा में हो सकती है जहाँ तक जैविक हथियारों का स्वाला है। लंगूर यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ का दावा है कि यूक्रेन में अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन द्वारा जैविक अनुसंधान प्रयोगशालाएँ हैं। वहाँ खतरनाक वायरस का भारत है, जोहो अमेरिका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं अमेरिका के सहयोग से 30 दशर्ष में 33 जैविकीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ कार्रवरत हैं अमेरिका भी यह मान चुका है कि यूक्रेन में जैविक हथियारों की प्रयोगशालाओं को पटाना अर्थित सहयोता दे रहा था और जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का एक जरिया है। अमेरिकी उप-विदेश मंत्री विटारिया नुलैंड को अमेरिकी इआरोपा की जीता-जागता संबूद्ध है। वीना ने 3 अमेरिका पर यूक्रेन के जरिये जैविक हथियारों का इस्तेमाल का आरोप लगाया है और कहा है कि वह यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है देखा जाये तो जैविक हथियारों का युद्ध में शुरू देखा जाये आतकी गुटों द्वारा इस्तेमाल की आशंका व नकारा नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण कम लागत में आसानी से उत्पादन और इसका मारक क्षमता का सबसे ज्यादा धातक होना है। हथियार युद्धक कामिकारों की धातकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इनमें कई कामों के बाहर वायरसों का प्रयोग भी जैवीन प्रटार्न का इस्तेमाल होता है।

ये थोड़े समय में ही बहुत बड़ी तबाही मचाने वाले कारण बनते हैं। इससे लोग गंभीर बीमारियों से शिकार होकर मौत के मुहूर्में वरे जाते हैं। इस शरीर को बहुत ही भयानक रूप से प्रभावित करते हैं। नीतीजतान लोग विकलाग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दरअसल, जैविक हथियारों के इस्तेमाल का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में युद्ध के दौरान दुश्मन के पुराने कुओं और तालाबों में जरूर मिलते हैं। ऐसे भी प्रमाण हैं कि छठी शताब्दी में मैसैपोटामिया के अस्सूर साम्राज्य के सैनिकों द्वारा दुश्मन के इलाकों के कुओं में जहरीले फंग डाले जाने से बड़ी तादाद में सैनिकों की मौत गयी थी। तुर्की और मगोल साम्राज्य में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। मंगोलिया में 1347 ईस्टी दुश्मन के इलाकों के तालाबों और कुओं में बीमारी जानवर फेंके जाने का भी उल्लेख मिलता है। निसाकी वजह से लेणे जैसी महामारी जिसे द्वेष देख की संज्ञा दी गयी, से चार साल के भीतर लाखों लोगों की मौत हुई थी। पिछली सदी में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा एथ्येवर और ग्लैंडॉवरीटिया के इस्तेमाल, दुसरे विश्व युद्ध में जापान द्वारा चीन के खिलाफ, 2001 में अमेरिका आतंकवादियों द्वारा अमीरिकी कांग्रेस में एथ्येवर संक्रमित चिट्ठी भेजे जाने से पांच लोगों की मौत इसके तीते - जागते सबूत हैं। चीन का ताता उदाहरण सबसे मानना है, कि सिस पर आरोग लाभ कि उसने बहुत लैब से दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया। इससे जबास्ती दिनिया में तबाही आयी।

A woman with blonde hair, wearing a brown fur-trimmed coat, stands in front of a severely damaged multi-story apartment building. The building's facade is partially collapsed, with broken windows and twisted metal visible. She has her hand near her mouth, possibly in surprise or distress. In the foreground, there is debris and what appears to be a crime scene tape.

सु-दोकू नवताल -2073

3			2	5			1
6							7
	1	5			6	9	
9				4			2
		3	9		6	7	
	7			8			5
8	1				2	5	
2							9
5			1		7		8

3

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक
के अंक भरे जाने आवश्यक
हैं। इनका क्रमवार होना
आवश्यक नहीं है।
आड़ी और खड़ी पंक्ति में
एवं 3×3 के वर्ग में किसी
भी अंक की पुनरावृत्ति न हो।
इसका चिह्नेश्वर ध्यान रखें।

बायें से दायें:-

1. अक्षरकुमार, खीना ठंडन की 'गजी गजी मैं भूं गजी' गीत वाली फिल्म-3
 4. 'उनके खाले आये थे' गीत वाली देव आनंद, मधुबाला की फिल्म-2,2
 6. मिथुन, मधु की 'हस्त वालों से देव बचाये' गीत वाली फिल्म-3
 7. 'ओफको जलता है बुरता है' गीत वाली सनी देओल, सोहेल, सुनील शेटी, जैन अव्राम, नीलंद की फिल्म-3
 9. अमिताभ, त्रिलिंग रेशन, प्रति चिंटा की 'आग में कहूँ' गीत वाली फिल्म-2
 11. 'गवाह है चाँद तारे' गीत वाली सनी देओल, मनोजा शेश्वरी की फिल्म-3
 13. अनिलकंप्पू, मायुरु दीक्षित की 'एक बात मान लो तुम' गीत वाली फिल्म-2
 14. 'सासांस का चलाना' गीत वाली सनी, सलमान, करिश्मा, तच्छु की फिल्म-2
 15. सनी देओल, फरहा की 'हूप पिया मिलन की आई' गीत वाली फिल्म-3
 - वाली रजकुमारा विषय की फिल्म-4
 19. जिया शेरगिल, जया बच्चन त्रिलिंग की 'आई थे होती' गीत वाली फिल्म-2
 21. 'आये तुम याद मुझे' वाली अमिताभ, जया बच्चन, माडुकु दीक्षित की फिल्म-2
 22. फिल्म 'इश्क इश्क इ... मैं देव आनंद के साथ नानिका कान था-3
 23. 'फूलों से जो झुशु गीत वाली अमिताभ, प्रति राय की फिल्म-2
 24. फिल्म 'हुतुप' में नानी कान था-3
 25. 'मेरे मन क्यों तुम्हे च गीत वाली अमित ख मनोजा की फिल्म-2
 27. अमित, चिराल की 'कमरिया लचड़े' वाली फिल्म-2
 29. 'चोरी चोरी कोई आई' गीत वाली फैथ कॉर्क ए पूर्ण दिव्या की फिल्म-2
 30. अमिताभ, रजनीकांत माधवी की 'यों यों गेते हमस्ता' गीत वाली फिल्म-2

फिल्म वर्ग पहली-207

- | | | | | | | |
|--|---|----|---|----|----|-------|
| 1. अश्वयकुमार, रवीना ठंडन की 'गजी गजी मैं दूँ गजी' गीत वाली फिल्म-3 | वाली राजकुमार, विनोद, प्रिया की फिल्म-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 'उनके ख्याल आये तो' गीत वाली देव आनंद, मधुबाला की फिल्म-2,2 | 19. जिमी शेरगिल, इरफान, अधिष्ठात्री की 'आईं भी होती' गीत वाली फिल्म-3 | | 6 | | | |
| 6. मिस्टर, मधु की 'हस्त वालों से दे दिल बचावे' गीत वाली फिल्म-5 | 21. 'आये तुम याद मूँजे' गीत वाली अमिताभ, जया भट्टुड़ी की फिल्म-2 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 7. 'ओंगको जलता है बुझता है' गीत वाली सनी देओल, सोहेल, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, नृहांद की फिल्म-3 | 22. फिल्म 'इक इक्स' में देव आनंद के साथ नायिका कीन थी-3 | | | 11 | 12 | 13 |
| 9. अमिताभ, चंद्रिका गेशन, प्रीति जिंटा की 'आर मैं कहूँ' गीत वाली फिल्म-2 | 23. 'फूलों से जो खुशबू आये' गीत वाली प्रसाद, ऐश्वर्या राय की फिल्म-2 | 14 | | | 15 | 16 |
| 11. 'गवाह हूँ चाँद तो' गीत वाली सनी देओल, मीना की शेशादि की फिल्म-3 | 24. फिल्म 'हुतूँ' में नायक कीन था-3 | | | 17 | 18 | 19 20 |
| 13. अनिलकुमार, दीपेंद्र की 'एक जान मान लो तुम' गीत वाली फिल्म-2 | 25. 'मैं मर मर तुम्हे चाहे' गीत वाली अमित खान, मनोज की फिल्म-2 | 23 | | 24 | | 25 26 |
| 14. 'माँसों का चलाना' गीत वाली सनी, सलमान, कारणपा, तत्त्व की फिल्म-2 | 27. अमित, टिंबल की 'कमरिया लालके' गीत वाली फिल्म-2 | | | 27 | | 28 |
| 15. सनी देओल, फरहा की 'रुत पिया मिलन को काई' गीत वाली फिल्म-3 | 29. 'सोचो सोचो कोई आये' गीत वाली फालख शेख, पूरम दिल्लौं कीफिल्म-2 | 29 | | 30 | | |
| 17. 'दूने औं गोंदी सेसे' गीत | 30. अमिताभ, रमनकुमार, मधवीन की 'रेते रेते हैंमना' गीतवाली फिल्म-2,3 | | | | | |
| फिल्म वर्ग पहली-2012 | | | | | | |
| क्लै क मे ल ज वे व का | दिवीपुक्ताम, नर्सिंह एक की फिल्म-3 | | | | | |
| क ला ल व ग ला जू, | 2. ऋषिकेपूर, अवराज, जूही की 'रेते आईं आईं का दीवाना' गीत वाली फिल्म-3 | | | | | |
| ही का ली ग द र | 3. 'पी कर शेकर जी की बूढ़ी' गीत वाली अधिकारपुर, नीलाली की फिल्म-4 | | | | | |
| मे रा घ द म ग ज फता | 4. राजकुमार, मीना की 'मेरे पैदा मेरे चंदा' गीत वाली फिल्म-3 | | | | | |
| हं मा ह वा व हा र | 5. 'अपनी चाहां पे काकू' गीत वाली जॉन अब्राहम, डिविता की फिल्म-2 | | | | | |
| टी टी दि ल वा र सि | 8. अक्षय, सैफ, रवीना, सोनाली की फिल्म-3 | | | | | |
| दा मु ल मा ई ल व | 11. 'मैं रेते की मेंी' गीत वाली अजय देवगन, काजोल की फिल्म-4 | | | | | |
| सु र से ह ग वे | 11. 'मैं रेते की मेंी' गीत वाली अजय देवगन, काजोल की फिल्म-4 | | | | | |
| हा व व ज या प्र दा | 11. 'मैं रेते की मेंी' गीत वाली अजय देवगन, काजोल की फिल्म-4 | | | | | |
| ज दि श स त्या दे | 11. 'मैं रेते की मेंी' गीत वाली अजय देवगन, काजोल की फिल्म-4 | | | | | |

